


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत नितीश कुमार पिता- तालमान साव एवं आशीष कुमार साहु पिता- गोपाल साव ग्राम: कुंडी, थाना : टंडवा जिला : चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम कुंडी थाना सं.-27 (रैयती भूमि) खाता सं.-2, के अधीन प्लॉट सं. -20, 27, 54, 81, 104, 150, 164, 171, 187, 109, 257, 265, 278, 284, 296, 303, 312, 313, 320, 334, 336, 337, 354, 371, 367, खाता सं.- 24 के अधीन प्लॉट सं. -168, 170, 279, 315, खाता सं.-5 के अधीन प्लॉट सं. -291, 206, खाता सं.-4 के अधीन प्लॉट सं. -105, 55, खाता सं.-7 के अधीन प्लॉट सं. -209, 326, थाना सं.-28 देवलगढ़ (रैयती भूमि) खाता सं.-2, के अधीन प्लॉट सं. -26, 45, 51, 54, 55, 66, 74, 75, 134, 145, 150, 168, 229, 231, 237; खाता सं.-17, के अधीन प्लॉट सं. -37, 83, 99, 212; थाना सं.-29 सराढ़ (रैयती भूमि) खाता सं.-50 के अधीन प्लॉट सं. -471, 476, 468, 469, गैरमजरूआ (जंगल-झाड़ी खाता सं.-278 के अधीन प्लॉट सं. -209, 326 कुल रकबा: - 04.0019 एकड़ [रैयती भूमि (3.6919 एकड़) + गैरमजरूआ (जंगल-झाड़ी (0.31 एकड़)] के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (मगध - संघमित्रा), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


22/08/24
C. M. (Min.) / L&R.